रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-14112022-240266 CG-DL-E-14112022-240266

#### असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

#### प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5063] No. 5063] नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 14, 2022/कार्तिक 23, 1944 NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 14, 2022/KARTIKA 23, 1944

### इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 नवम्बर, 2022

का.आ. 5283(अ).—केंद्रीय सरकार, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21) की धारा 70 की उप-धारा (1) और उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बैंक ऑफ़ बड़ौदा और इसके सहयुक्त आश्रितताओं के कंप्यूटर संसाधनों को नाजुक सूचना अवसंरचना होने के कारण महत्वपूर्ण बैंककारी समाधान (कोर बैंकिंग सोल्यूशन), वास्तविक समय समग्र निपटान (रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट), राष्ट्रीय इलैक्ट्रोनिकी निधि अंतरण (नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर), तुरंत भुगतान सेवा स्विच (इमीडिएट पेमेंट सर्विस स्विच), स्वचालित टेलर मशीन स्विच (ऑटोमेटिड टेलर मशीन स्विच) और एकीकृत भुगतान इंटरफेस स्विच (यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस स्विच) से संबंधित कंप्यूटर संसाधनों को,उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिए एतद्वारा संरक्षित प्रणाली घोषित करती है और निम्नलिखित कार्मिकों को संरक्षित प्रणालियों तक पहुंच बनाने के लिए प्राधिकृत करती है, अर्थात्:-

- (क) संरक्षित प्रणाली तक पहुंच बनाने के लिए, बैंक ऑफ़ बड़ौदा द्वारा लिखित रूप में प्राधिकृत बैंक ऑफ बड़ौदा का कोई अभिहित कर्मचारी;
- (ख) संविदात्मक प्रबंधित सेवा-प्रदाता या तृतीय पक्षकार विक्रेता के दल का कोई सदस्य जिसे आवश्यकता के आधार पर पहुंच बनाने के लिए बैंक ऑफ़ बड़ौदा द्वारा लिखित रूप में प्राधिकृत किया गया है ; और
- (ग) मामला दर मामला के आधार पर, बैंक ऑफ़ बड़ौदा द्वारा लिखित रूप में प्राधिकृत कोई परामर्शी, विनियामक, सरकारी पदाधिकारी, संपरीक्षक और पणधारी।

7550 GI/2022 (1)

2. यह अधिसूचना राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगी।

[फा. सं. 2(5)/2022-सीएल]

अमित अग्रवाल, अपर सचिव

# MINISTRY OF ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY NOTIFICATION

New Delhi, the 14th November, 2022

**S.O. 5283(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (2) of section 70 of the Information Technology Act, 2000 (21 of 2000), the Central Government hereby declares the computer resources relating to the Core Banking Solution, Real Time Gross Settlement, National Electronic Fund Transfer, Immediate Payment Service Switch, Automated Teller Machine Switch and Unified Payments Interface Switch, being Critical Information Infrastructure of the Bank of Baroda, and the computer resources of its associated dependencies to be protected systems for the purpose of the said Act and authorises the following personnel to access the protected systems, namely:

- (a) any designated employee of the Bank of Baroda authorised in writing by the Bank of Baroda to access the protected system;
- (b) any team member of contractual managed service provider or third-party vendor who have been authorised in writing by the Bank of Baroda for need-based access; and
- (c) any consultant, regulator, Government official, auditor and stakeholder authorised in writing by the Bank of Baroda on case to case basis.
- 2. This notification shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

[F. No. 2(5)/2022-CL]

AMIT AGRAWAL, Addl. Secy.